

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना [मकिसप] के अंतर्गत जीविकोपार्जन पर आधारित व्यापक पैमाने पर तसर रेशम उत्पादन के संवर्धन हेतु बहु-राज्य परियोजना

भूमिका : देश में रेशम उत्पादन के संवर्धन का एक शीर्ष संगठन, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार तथा **प्रदान** जो दशकों से सीमांत समुदायों के मध्य जीविका आधारित तसर रेशम उत्पादन का संवर्धन कर रहा है, उन्नत प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण, संपर्क स्थापित करने तथा विगत 10 वर्षों में लगभग 15,000 ग्रामीणों के लाभार्थ तसर उप-क्षेत्र में लोगों का स्थाई समूह तैयार करने के लिए दोनों मिलकर सहयोग कर रहे हैं। यह प्रयास प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम [यू एन डी पी] के अंतर्गत एक प्रायोगिक परियोजना के माध्यम से किया जा रहा था, बाद में झारखंड एवं बिहार में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से विशेष स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के माध्यम से इसे और उन्नत किया गया। अभी हॉल में, नबार्ड तथा जनजाति कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखंड सरकार, भी कार्याकलापों की वृद्धि में ईंधन के रूप में सहयोग दे रहे हैं।

परियोजना : उपरोक्त पहल से तसर रेशम उत्पादन में खास तौर से जनजाति समुदायों के लिए जीविका की पर्याप्त क्षमता परिलक्षित हुई है। वर्तमान में तसर आधारित जीविका के अभिगम हेतु इसकी मांग का प्रत्यक्ष-बोध ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से हुआ है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य तैयार करते हुए केन्द्रीय रेशम बोर्ड तथा **प्रदान** ग्रामीण क्षेत्रों की व्यापक संख्या तक पहुंचने तथा परिवार स्तर पर जीविकोपार्जन एवं तसर रेशम उत्पादन की क्षेत्र-वृद्धि का प्रवर्तन दोनों ही दृष्टि से व्यापक पैमाने पर इसके प्रभाव के सृजन हेतु बहु-राज्य अभियान को अपनाने के विचार के साथ आगे आया है। वर्ष 2011 में ही ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ इस विचार पर चर्चा की गई थी और उसके बाद इस मुद्दे पर कई चर्चाएं हुईं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, पूर्ववर्ती चरणों के हस्तक्षेप के साथ तार्किक विस्तार के रूप में महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना [मकिसप] के अन्तर्गत वित्तीय सहायता पर विचार करते हुए परियोजना तैयार करने के प्रति केरेबो के प्रस्ताव पर सहमत है।

तदनुसार, केरेबो प्रदान के सीधे समन्वय से झारखण्ड, उड़ीसा, प.बंगाल तथा छत्तीसगढ़ में तथा बी ए आई एफ [भारतीय एगो इण्डस्ट्रीज फाउन्डेशन] के समन्वय से महाराष्ट्र में तसर के विकास हेतु पांच परियोजनाओं को तैयार किया है जो वर्ष 2013 के उत्तरवर्ती महीनों से कार्यान्वित है।

परियोजना के उद्देश्य : परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं –

- 1) तसर रेशम उत्पादन तथा फार्म आधारित मध्यस्थता की विभिन्न गतिविधियों में सीमान्त कृषकों की स्थाई जीविका का सृजन,
- 2) परियोजना के दौरान तथा उसके बाद तसर रेशम उत्पादन के माध्यम से जीविका के अवसर का विस्तार,
- 3) महिला सदस्यों को स्वयं सहाय समूहों में संगठित करते हुए परियोजना जिलों के नये समूहों में परिवारों को संघटित करना, स्वयं प्रबंधन हेतु अपनी क्षमताओं का निर्माण करना तथा सहायक

परिवारों में जीविका दृष्टि का निर्माण करना । यह संघर्ष, परियोजना अवधि के बाद आगे भी तसर आधारित जीविका पहलुओं के विस्तार हेतु एक आधार का कार्य करेगा ।

परियोजना के मुख्य कार्यकलाप

- विद्यमान स्वयं सहाय समुदायों एवं समूहों की सुदृढ करना तथा उन्हें जीविका-उन्मुख गतिविधियों की तरफ अभिमुख करना,
- समूचे तसर रेशम मूल्य श्रृंखला में कार्यकारी गतिविधि समूहों को बढ़ावा देना,
- उत्पादकों द्वारा उठाये गये कदमों को बरकरार रखने में सक्षम बनाने हेतु प्राथमिक समूह के जिला/ब्लाक स्तर के संग्रहों [औपचारिक अथवा अनौपचारिक] को बढ़ावा देना,
- उत्पादकों को निवेश/मशीन, संपत्ति सृजन जैसे बीज उत्पादन इकाई, पोषक पौधारोपण, धागाकरण इकाई, छांप्ने-श्रेणीकृत करने के भण्डारण केन्द्र आदि से सुसज्जित करते हुए उनकी क्षमता का निर्माण करना,
- रेशम कीर्णपालकों को उनके उत्पाद का सही मूल्य सुनिश्चित करने हेतु तसर कोसा बैंक तथा सूत मूल्यों में स्थिरता लाने एवं वैकल्पिक विपणन तंत्र के सृजन हेतु रेशम सूत बैंकों की स्थापना,
- उत्पादकों को रेशम कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी एवं प्रविधि अपनाने हेतु सहायता करना तथा महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जीविका का अन्य विकल्प तैयार करना,
- हाथोंहाथ सहायता प्रदान करने, ऋण हेतु संपर्क तथा उत्पादक परिवारों की प्रतिभागिता हेतु बाजार आदि के लिए समुदाय आधारित सेवा प्रदाताओं के संवर्ग को बढ़ावा देना,
- परियोजना प्रतिभागियों की सेवा हेतु स्थाई प्रणाली प्रदान करने के लिए उपयुक्त उत्पादन संगठनों [नये अधिनियम के अनुसार को-ऑपरेटिव अथवा उत्पादक कंपनियां] को बढ़ावा देते हुए इन्हें पोषित करना,
- प्रक्रियाओं के दस्तावेजीकरण, प्रभाव तथा अनुभवों के व्यापक विस्तार से संबंधित कार्यकलापों का अधिग्रहण ।


परियोजना परिणाम :

राज्य	परियोजना जिला	परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण	परियोजना लाभार्थी		
			तसर-प्रत्यक्ष	तसर – अप्रत्यक्ष	कुल योग
झारखंड	गोड्डा, दुमका, पकूर, पूर्व सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसवां, गिरीडीह एवं देवघर	प्रदान	6427	2142	11938
	छत्तीसगढ़		1893	586	4505
	उड़ीसा		1525	381	2654
	पश्चिम बंगाल		1525	381	2654
महाराष्ट्र	गडचिरोली, गोंडिया, चंद्रपुर एवं यावतमाल (6 ब्लॉक, 9 क्लस्टर, 145 ग्राम)	बीएआईएफ	3326	831	5790
योग	राज्य 5 , जिला : 18		14696	4321	27541


परियोजना परिव्यय और हिस्सेदारी पद्धति :

राज्य/ संवर्ग	ग्रामीण विकास मंत्रालय	केरेबो	परियोजना अनुदान (₹ लाख में)	ऋण	लाभार्थी	कुल लागत (लाख ₹)
झारखंड	1795.460	598.486	2393.946	192.928	195.789	2782.663
छत्तीसगढ़	598.703	204.286	802.989	47.784	69.806	920.579
उड़ीसा	358.586	119.447	478.033	39.155	38.812	555.999
पश्चिम बंगाल	400.399	133.599	533.998	39.107	44.152	617.257
महाराष्ट्र	759.800	253.211	1013.011	81.377	109.152	1203.540
कुल परियोजना लागत %	3912.95	1309.029	5221.977	400.351	450.711	6080.040
कुल परिव्यय %	64.35	21.52	85.88	6.58	7.52	100.00
परियोजना अनुदान %	74.93	25.07				

कुल परियोजना परिव्यय की हिस्सेदारी पद्धति



प्रति परिवार लागत



महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के अन्तर्गत प्रति प्रतिभागी अनुदान को आवृत्त करने की दृष्टि से ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा केरेबो से 75:25 के अनुपात में परियोजना - अनुदान-आधारित परियोजना पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विचार किया है। तथापि, परियोजना लागत में श्रम के रूप में लाभार्थी हिस्सा एवं प्राइवेट बीज उत्पादकों व सूत परिवर्तकों हेतु कार्यशील पूंजी के प्रति औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों से स्थानीय रूप में उपलब्ध सामग्री एवं ऋण आदि सन्निहित है।

प्रति परिवार उपकरण, प्रशिक्षण एवं सामान्य परिसंपत्ति पर लागत :

राज्य	निवेश/ परिवार (₹)			कुल निवेश/ परिवार	कुल परियोजना अनुदान/लाभार्थी
	उपकरण	प्रशिक्षण	सामान्य संपत्ति		
झारखंड	7,739	2,951	5,436	23,309	23,309
छत्तीसगढ़	5,540	3,011	4,838	22,695	19,795
उड़ीसा	3,461	2,929	3,394	20,949	18,011
पश्चिम बंगाल	4,016	2,929	4,025	23,260	20,123
महाराष्ट्र	7,922	4,176	5,490	20,784	17,493

परियोजना परिणाम :

राज्य/ संवर्ग	ब्लॉक पौधारोपण (हे.)	वन पौधारोपण पुनःसृजित (हे.)	मूल बीज उत्पादन (रोमुबीच)	वाणिज्यिक बीज उत्पादन (लाख रोमुबीच)	कोसा उत्पादन (लाख)	सी आर पी संवर्धित (सं.)	कच्चा रेशम उत्पादन* (मी ढन)
झारखंड	607	3150	2.25	21.390	1161.41	161	92.913
छत्तीसगढ़	300	900	0.50	4.450	292.40	56	23.392
उड़ीसा	80	940	0.50	4.150	265.40	37	21.232
पश्चिम बंगाल	130	805	0.50	4.250	267.00	37	21.360
महाराष्ट्र	200	1750	0.48	6.750	212.57	82	17.006
योग	2459	7210	5.25	47.20	1179.48	373	175.903

* तीन वर्ष की परियोजना अवधि के दौरान

परियोजना परिणाम :

- पथ एवं अग्र संपर्क तथा पूरे मूल्य ऋंखला में स्वपोषित संस्थानों का निर्माण,
- उप-क्षेत्र हेतु तकनीकी एवं उद्यमी क्षमता के व्यापक निकाय (पूल) का सृजन,
- बेहतर संपर्क के चलते बहुत से निष्क्रिय कीर्पालक सक्रिय हो जाएंगे तथा बाजार सहायता से उप-क्षेत्र के लिए युवा आकर्षित होंगे,
- स्थानीय रूप से मूल एवं व्यावसायिक बीज का उत्पादन एवं उपलब्धता,
- पूरे भूमि-प्रदेश में परपोषी पौधों का संरक्षण ।

निधि प्रवाह तंत्र :

1. निधि को आगे बढ़ाने के लिए समन्वयकारी अभिकरण, केरेबो, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से तीन किस्तों में 25 [10 एवं 15% दो वित्तांश में]:50 [पहली किस्त के 60% इस्तेमाल पर]:25 [दूसरी किस्त के 80% इस्तेमाल पर] निधि प्राप्त करेगा ।
2. केरेबो तथा परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण, ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा अलग बैंक खाते में रखेगा । केरेबो, समझौता ज्ञापन में प्रविष्ट होने के बाद, परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण की मांग तथा कार्ययोजना, जो समझौता ज्ञापन का एक भाग है, की प्राप्ति पर तदनुसार, परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण को ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा हस्तांतरित करेगा । केरेबो अपना हिस्सा भी शीर्ष अनुश्रवण समिति के अनुमोदन पर वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं उदिका की 12 हवीं योजना के मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुसार उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वार्षिक आधार पर, विमोचित करेगा ।
3. परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण, संबंधित जिला स्तर की ढीम को निधि हस्तांतरित करेगा तथा ढीम इस निधि के लिए अलग खाता बही का रखरखाव करेगी ।
4. प्रत्येक कार्यकारी समूह एक बैंक खाता रखेगा जिसके माध्यम से वे अपेक्षित निधि प्राप्त करेंगे तथा प्रत्येक महीना भौतिक एवं वित्तीय योजना के आधार पर खर्च करेंगे ।

5. परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण कार्यकारी समूह से प्राप्त मांग के भलीभांति मूल्यांकन के उपरांत निधि का हस्तांतरण करेगा तथा ग्राम स्तर पर रोकड़ बही, स्टॉक बही, खाता बही का रखरखाव सुनिश्चित करेगा ।

परियोजना प्रबंधन :

राज्य स्तर पर गठित **समीक्षा समिति** में अध्यक्ष के रूप में सचिव [क्षेत्रीय निदेशक], संयोजक के रूप में राज्य ग्रामीण जीविका मिशन के मिशन निदेशक तथा केरेबो, संबंधित राज्य के रेशम निदेशालय एवं इस क्षेत्र के अन्य विभाग इसका अनुश्रवण करेंगे तथा समय-समय पर परियोजना की समीक्षा करेंगे ।

राज्य स्तरीय तकनीकी परियोजना सहायक समूह [एस पी एस जी] : इसके अध्यक्ष राज्य के रेशम उत्पादन निदेशक, केरेबो से नामित परियोजना अधिकारी, संयोजक होंगे तथा परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण के राज्य ग्रामीण जीविका मिशन द्वारा निधि के आवश्यक विमोचन हेतु समय-समय पर कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों को संस्तुत करेंगे । यह समूह लाभार्थी चयन हेतु उप समूहों, संयुक्त क्षेत्र वीक्षण, मुख्य निवेश के प्रति प्रकार्य संपर्क की स्थापना आदि भी करेगा । इस परियोजना से संबंधित मामलों के समन्वय हेतु केरेबो के साथ रेशम निदेशालय एक अधिकारी को नामांकित करेगा ।

मुख्य कार्यापालक अधिकारी या संबंधित राज्य के राज्य ग्रामीण योजना मिशन [एस आर एल एम] के मिशन निदेशक, की अध्यक्षता में एक **राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति** [एस एल एम सी], रेशम निदेशालय, केरेबो तथा इस क्षेत्र के अन्य विभाग पणधारियों के साथ परियोजना स्तर की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करेंगे ।

विशेष स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की तरह प्रगति पर चर्चा एवं आवश्यक हुआ तो मध्यवर्ती सुधार के निर्णय हेतु परियोजना स्तर पर सदस्य सचिव, केरेबो की अध्यक्षता में एक परियोजना प्रबंधन बोर्ड का गठन प्रस्तावित है ।

परियोजना कार्यान्वयन संरचना :

- परियोजना को वर्तमान सामाजिक संघर्ष क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाएगा,
- सभी लक्ष्य-परिवारों को आवृत्त करने हेतु अतिरिक्त स्वयं सहाय समूह का निर्माण किया जाएगा,
- खाद्य एवं पोषक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्वयं सहाय समूह के सदस्यों को कृषि पर एक गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा,
- विभिन्न प्रकार का तकनीकी एवं संगठनात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा,
- कार्यकारी समूह के निर्माण के माध्यम से ग्राम-पर्व पर परियोजना का पड़ाव डाला जाएगा,
- कार्यान्वयन में सहायता के लिए संरक्षण आरक्षी कार्यक्रम [सी आर पी] समर्थित समूह होगा,
- यह समूह, योजना, कार्यान्वयन व प्रगति का अनुश्रवण करेगा,
- सभी वित्तीय लेन-देन समूह के खाता के माध्यम से संपन्न होगा,
- पुरवा स्तर के इन संगठनों को, ब्लॉक या भौगोलिक विस्तार स्तर पर उत्पादकों का समूह तैयार करने के लिए, जोड़ा जाएगा,

- स्वयं सहाय समूहों को संघ या समूह के रूप में जोड़ा जाएगा,
- परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण की भूमिका, क्षमता निर्माण, योजना, कार्यान्वयन एवं प्रबंधन के प्रति होगी तथा परियोजना के सुचारु कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का निर्माण किया जाएगा ।

भूमिका एवं उत्तरदायित्व :

केन्द्रीय रेशम बोर्ड [केरेबो] : समन्वय अभिकरण होने के नाते यह निधि के विमोचन में ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समन्वय, अनुश्रवण तथा यदि आवश्यकता हुई तो मध्यवर्ती समीक्षा एवं सुधार करेगा । केरेबो, परियोजना कार्यान्वयन में लगे कार्मिकों के प्रशिक्षण [प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम] में अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान करने, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु परामर्शदाताओं/कुशल व्यक्तियों/प्रशिक्षकों के चयन, प्रशिक्षण सामग्री/मॉड्यूल को अन्तिम रूप देने, समस्त नाभिकीय बीज एवं मूल बीज की आपूर्ति करने के साथ-ही-साथ परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण को अपने हिस्से की निधि समय से विमोचित करना सुनिश्चित करेगा । यह परियोजना स्तर पर समग्र प्रबंधन के अलावा रोग अनुश्रवण तथा राज्य के रेशम उत्पादन विभाग के साथ समन्वय भी करेगा । सदस्य सचिव, केरेबो की अध्यक्षता में परियोजना समन्वयक द्वारा आयोजित परियोजना प्रबंधन बोर्ड [पी एम बी], समग्र परियोजना प्रबंधन के पहलुओं को सुनिश्चित करेगा जिसमें आवश्यकतानुसार संशोधन भी शामिल है । केरेबो, परियोजना प्रबंधन बोर्ड के गठन एवं विचारार्थ-विषय [पी ओ आर] को अन्तिम रूप देगा । केरेबो, अन्तराल को समाप्त करने के लिए, यदि है तो, रेशम निदेशालय के समन्वय से उविका योजना से सामंजस्य स्थापित करने में सुविधा प्रदान करेगा । परियोजना समन्वयक ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित सभी परियोजना मामलों, केन्द्रीय रेशम बोर्ड तथा इससे अधीनस्थ एककों, के परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण/क्षेत्र कार्यान्वयन अभिकरणों तथा इस प्रकार के अन्य विभागों के साथ समन्वय करेगा । परियोजना प्रबंधन बोर्ड, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति को प्रस्ताव देते हुए परियोजना अनुदान के 5% के अन्दर अथवा बचत का उपयोग करते हुए, जैसी स्थिति हो, अभिनव परिवर्तन वाले घाटकों को परियोजना के अन्तर्गत समाविष्ट किये जाने का सुझाव भी देगा ।

परियोजना अधिकारी अधिमान्यतः राज्य में बुनियादी तसर रेशमकी बीज संगठन के क्षेत्र कार्यालय [बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केन्द्र] अथवा राज्य में केरेबो के क्षेत्रीय कार्यालय से नामित, कोसा-पूर्व क्षेत्र में [केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची के क्षेत्र कार्यालय अथवा मुख्य संस्थान से] तथा कोसोत्तर क्षेत्र में [केरेप्रौअसं, बेंगलूर के क्षेत्र/आंचलिक कार्यालय अथवा मुख्य संस्थान से] अपेक्षित प्रौद्योगिकी निवेश, बीज क्षेत्र [बुनियादी तसर रेशमकी बीज संगठन, बिलासपुर के परामर्श से] तथा कोसोत्तर क्षेत्र में [केरेप्रौअसं, बेंगलूर के क्षेत्र/आंचलिक कार्यालय अथवा मुख्य संस्थान से] नामित **नोडल अधिकारियों** की सहायता से समन्वय करेगा । परियोजना अधिकारी संबंधित संस्थान के संपर्क से परियोजना के अन्तर्गत अपनाई जाने वाली-प्रौद्योगिकी प्रदान करेगा, साथ ही प्रोग्रामिंग, कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण में सहायता करेगा तथा राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति [एस एल एम सी], राज्य स्तरीय तकनीकी परियोजना सहायता समूह [एस पी पी एस जी] और परियोजना प्रबंधन बोर्ड [पी एम बी] को विशेष फीडबैक की रिपोर्ट देगा ताकि वह केरेबो के क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य ग्रामीण जीविका मिशन [एस एल एम सी] तथा रेशम-उत्पादन विभाग के समन्वय

से समीक्षा करने के साथ ही साथ कार्यान्वयन की आगामी कार्यनीति की योजना बना सके । केरेबो, रेशम निदेशालय, परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण तथा अन्य पणधारियों के सहयोग से रोग नियंत्रण उपाय भी करेगा । यह गहन रेशम विकास योजना [आई एस डी एस] के अन्तर्गत सीधे अथवा संबंधित परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण को सन्निहित करते हुए परियोजना प्रतिभागियों की विभिन्न श्रेणियों के प्रशिक्षण की योजना भी बनाएगा ।

रेशम उत्पादन विभाग [डीओएस] : राज्य स्तरीय तकनीकी परियोजना सहायक समूह [एसपीपीएसजी] की अध्यक्षता, परियोजना-राज्य के रेशम-उत्पादन आयुक्त द्वारा की जाएगी जो अतिरिक्त आवश्यकता, योजना के सामंजस्य, इसे उन्नत करने आदि पर क्षेत्रीय कार्यान्वयन अभिकरण [एफ आई ए]/परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण [पी आई ए] को सलाह देगा । यह समूह, यदि कोई संशोधन है तो इसे परियोजना प्रबंधन बोर्ड को सलाह देने के साथ-ही-साथ इसे उन्नत करने के लिए अन्य परियोजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने/समभिरूपता तथा आय वृद्धि में सुधार हेतु प्रयास एवं इसकी चर्चा भी करेगा । रेशम निदेशालय, परियोजना कार्यान्वयन में समन्वय हेतु सीधे एक अधिकारी नामांकित करने के अलावा परियोजना जिले में जिला अधिकारी संलग्न करेगा, इसके साथ ही साथ नाभिकीय एवं मूल बीज कीपालन, कोसा भण्डारण, समुदाय को कोसा परिवर्तन आदि के लिए अवसंरचना एवं संसाधन उपलब्ध कराते हुए परियोजना के अग्र-भरण में मदद करेगा । इसके अलावा, रेशम निदेशालय, लाभार्थी-चयन, जहां आवश्यक हुआ, आधारभूत सर्वेक्षण, क्रय समिति, पणधारियों को प्रशिक्षण, प्रसार सहायता, संयुक्त सत्यापन, विपणन आदि में, जहां संभव हो, सक्रिय रूप से संलग्न होगा ।

राज्य ग्रामीण जीविका मिशन [एस आर एल एम] : राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति [एस एल एम सी] के अध्यक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मिशन निदेशक, रा.ग्रा.जी.मि होंगे जिसमें केरेबो, रेशम निदेशालय, प का अ/वि का अ, जनजाति कल्याण विभाग, बन, कृषि तथा अन्य जैसी स्थिति हो, सन्निहित होंगे । मु.का.अ., राग्राजीमि, सचिव-क्षे नि की अध्यक्षता में परियोजना समीक्षा समिति के गठन में सुविधा प्रदान करेंगे तथा इसके सदस्य संयोजक होंगे । केरेबो तथा पकाअ, परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण को विमोचित राशि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्तुत की जाने वाली भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से मु.का.अ. राग्राजीमि को अद्यतन रखेंगे । राज्य ग्रामीण जीविका मिशन स्वयं सहाय समूह के निर्माण में परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण की मदद करेगा क्योंकि यह महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के अंतर्गत अनिवार्य है । यह, परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध परियोजना अनुदान के प्रभाव को शक्ति प्रदान करने के लिए इसे अन्य उन्नतशील योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के साथ समभिरूपता में सुविधा भी प्रदान करेगा ।

परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण [पी आई ए] : परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण केरेबो के साथ समझौता ज्ञापन करेगा तथा यह परियोजना दस्तावेज/संशोधन, यदि है तो, के अनुसार होगी । परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण, निर्धारित मार्गदर्शनों एवं शर्तों के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा केरेबो दोनों को मांग पत्र देगा । परियोजना कार्यान्वयन हेतु निधि प्राप्त करेगा तथा क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन हेतु इसे क्षेत्र कार्यान्वयन अभिकरण/परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण [पीएम] एकक के जिला स्तर के एककों को विमोचित करेगा । परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण की यह जिम्मेदारी

होगी कि परियोजना स्तर पर निधि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो । जहां तक संभव हो, परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा, कार्यक्रम निधि का विमोचन समूह/क्लस्टर स्तर के खाते में किया जाए । यह ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा केरेबो दोनों को निर्धारित प्रपत्र में भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट की प्रस्तुति सुनिश्चित करेगा, साथ ही अपेक्षित सूचना एवं आकड़ा परियोजना वेबसाइट पर अपलोड करेगा । यह, विद्यमान अवसरंचना के उपयोग हेतु रेशम निदेशालय/राज्य ग्रामीण जीविका मिशन के साथ समन्वय करेगा तथा उपलब्ध योजनाओं से सामंजस्य भी स्थापित करेगा ताकि परियोजना आवृत्त क्षेत्र बढ़ सके । परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा परियोजना समूह में सभी पणधारियों को आवृत्त करने हेतु रेशम निदेशालय के प्रयासों की पूर्ति में पूरा ध्यान दिया जाएगा ताकि समूह में सभी पणधारियों को संलग्न किया जा सके जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखे ।

इसी प्रकार परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण, आवृत्त किये जाने वाले परिवारों की संख्या, परियोजना क्षेत्र का भू-भाग एवं विस्तार, भूमि क्रय से संबंधित मुद्दे, मृदा उपचार/पौधारोपण कराने की पूर्वापेक्षा तथा परियोजना के अन्तर्गत अवसरंचना कार्यकलापों का सृजन आदि की दृष्टि से मूलभूत एवं समूह स्तर पर जनशक्ति की अपेक्षित संख्या लगाने की व्यवस्था करेगा ताकि विचारणीय परियोजना के उद्देश्य एवं इसके परिणाम को प्राप्त किया जा सके । परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण तसर रेशम उत्पादन के क्षेत्र में प्रदर्शन हेतु अन्य सिविल सोसाइटी आर्गनाइजेशन को भी संलग्न करेगा । परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण राज्य में प्रतिष्ठित सिविल सोसाइटी आर्गनाइजेशन [सी एस ओ] का चयन करेगा तथा महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के क्षेत्र विस्तार को सभी अपरक्राम्य के साथ इसका रखरखाव करते हुए प्रायोगिक आधार पर उनके साथ महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के एक भाग-तसर आधारित जीविका कार्यक्रम, को बढ़ावा देगा ।

अन्य समरूप विभाग : ग्रामीण विकास, वन, कृषि, जनजाति कल्याण आदि विभाग, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, राज्य ग्रामीण जीविका मिशन [एस आर एल एम], रेशम निदेशालय [डी ओ एस] तथा परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण, के प्रयासों के संवर्धन में जहां संभव हो, समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा जिसे रेशम निदेशालय/रा गा यो मि अथवा केरेबो द्वारा सुविधा प्रदान की जाएगी । ग्रामीण विकास विभाग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन योजना के साथ सामंजस्य स्थापित करने में तथा तसर परपोषी पौधों के संवर्धन हेतु लागू ब्लाक में समूह सुविधा टीम [सी एफ टी] तैयार करने में मदद करेगा । वन विभाग वन के सीमावर्ती क्षेत्र में खाद्य पौधों के अभिगम संबंधी मामलों का पता लगाने में पौधारोपण हेतु नवोद्भिद परपोषी पौधों की आपूर्ति, तसर परपोषी पौधों की गणना, अपने वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत तसर परपोषी पौधा सहित, कार्य-कलापों में मदद करेगा । जनजाति कल्याण विभाग अपने संघटित जनजाति विकास अभिकरण (आईपीडीए) जैसे अभिकरणों के माध्यम से अपनी विद्यमान योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सुविधा प्रदान करेगा ताकि आवृत्त-क्षेत्र बढ़ सके ।

संस्थान संरचना

परियोजना के अंतर्गत चयनित सभी लाभार्थी या तो प्रस्तावित क्षेत्र में विद्यमान स्वयं सहाय समूह से होंगे या जहां स्वयं सहाय समूह नहीं है, राज्य ग्रामीण जीविका मिशन के सहयोग से समूह का निर्माण किया जाएगा । इन लाभार्थियों को कार्यकारी समूह में संगठित किया जाएगा जिसे ब्लाक/जिला स्तर पर उत्पादनों के समूह में संघीकृत किया जाएगा ।

उपक्षेत्र के व्यापक विकास हेतु सुदृढ संथानों की आवश्यकता होगी जो दीर्घ-काल तक उपक्षेत्र के विकास हेतु नेतृत्व करने के साथ ही साथ की गई पहल को बनाए रखे । समुचित नीति निर्माण, लागत हेतु वित्तीय संसाधन जुड़ाना, उत्पादों के संवर्धन हेतु कठिन श्रम करना, उत्पादकों की अर्हता की सुरक्षा करना तथा पणधारियों का विस्तार आदि तसर रेशम उत्पादन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसके लिए सुदृढ पहल करने की आवश्यकता होगी । चूंकि अधिकांश उत्पादक जन-जाति एवं पिछड़े वर्ग से आते हैं तथा वित्तीय दृष्टि से गरीब होते हैं, अतः तसर के परिप्रेक्ष्य में पणाया एवं उत्पादकों के नियंत्रण में वृद्धि के लिए तैयार किये गये समुचित संगठनों का सृजन एक प्रमुख एवं चुनौतीपूर्ण कार्य होगा । परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण, उत्पादकों को सन्निहित करते हुए संगत संस्थाओं के सृजन पर विचार करेगा तथा दीर्घ काल तक नियंत्रण हेतु उन्हें सक्षम बनाएगा । वर्तमान योजना के परिप्रेक्ष्य में यह संगत भी है क्योंकि प्रौद्योगिकी विस्तार की प्रभाविकता, विभिन्न उत्पादक समूहों तथा वन भूमि में तसर की पालन करने में उनके अभिगम में सुविधा के बीच संपर्क स्थापित करने में योजना की सफलता निहित है । योजना के प्रस्तावित विस्तार का स्वभाव समयवद्ध होने तथा लागत की व्यापक गतिशीलता की आवश्यकता के कारण परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण निम्न विचार के अनुसार विभिन्न संगठनों के सृजन का प्रस्ताव करता है ।

प्राथमिक स्तर के संगठन : ग्राम स्तर पर अनौपचारिक समूहों में उत्पादकों को संगठित किया जाएगा । ग्राम स्तर के संगठन में सामान्य की पालक तथा बीजागार मालिक होंगे जो पहले से ही ग्राम/पुरवा में रहते हैं । ग्राम/पुरवा के आकार के आधार पर प्राथमिक स्तर के संगठनों में 15-40 उत्पादक सन्निहित होंगे । ऐसे छोटे समूहों को रखने से संगठन के सदस्यों तथा उनके बीच प्रभावी ंग से अन्योन्य क्रिया में मदद मिलेगी । प्राथमिक स्तर के संगठनों का मुख्य ध्यान की पालकों के चयन, समुचित की पालन, स्थल का चयन, परपोषी पौधों का रखरखाव, नये पौधारोपण का संवर्धन, रोगमुक्त चकत्तों के गुणवत्ता मानक का अनुश्रवण तथा की पालन एवं कोसों के विपणन हेतु सेवाओं को की पालकों तक पहुंचाने में मदद करना है ।

द्वितीय स्तर के संगठन : ग्राम स्तर के संगठन के कुल योग के रूप में जिला/ब्लाक स्तर पर द्वितीय स्तर के संगठनों का निर्माण किया जाएगा तथा इन्हें 'तसर की पालक समूह' में संगठित किया जाएगा । यहां, ग्राम स्तर के संगठन के सभी सदस्य, उत्पादक समूह के स्वतंत्र सदस्य होंगे । जिला स्तर के समूह को या तो पंजीकृत किया जाएगा या संबंधित राज्य के संगत राज्य मॉडल के साथ संबद्ध किया जाएगा । समूह की मुख्य भूमिका निम्न प्रकार होगी :

- i. रोगमुक्त चकत्ते की गुणवत्ता एवं मूल्य विनियमन,
- ii. बीज कोसा संरक्षण तथा मूल बीज उत्पादन,
- iii. उन्नत रेशमकी पालन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना,
- iv. रो मु च का अधिशेष एवं घा प्रबंधन,
- v. कोसा बिक्री हेतु सुदूर बाजार अभिगम,
- vi. अभिनव प्रयासों में सुविधा प्रदान करने हेतु संसाधनों एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित करना,
- vii. वित्तीय संस्थानों से वित्त को गतिशील करना,
- viii. तसर परपोषी स्पाँक के सुधार हेतु वन विभाग के साथ सहयोग ।

भौगोलिक विस्तार के आधार पर प्रत्येक 500-1000 परिवारों के लिए तैयार किये जाने वाले उत्पादकों के समूह का निर्माण, शिक्षण तथा पोषण प्रस्तावित है । बोर्ड सदस्य एवं संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सभी संगत क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा विशेषज्ञ स्रोत के व्यक्ति की मदद से परियोजना क्षेत्र के बाहर सुस्थापित उत्पादकों की संस्था के निर्माण की अवस्थिति से अवगत कराया जाएगा । दीर्घकाल तक इसके प्रभावी कार्य हेतु संस्था की सदस्यता का निर्माण एक महत्वपूर्ण भाग है । यह प्रक्रिया परियोजना के अंत तक जारी रहेगी ताकि परियोजना अवधि के बाद भी बिना किसी वित्तीय सहायता के संस्था स्थाई आधार पर कार्य कर सके ।
